न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05 / 2023 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती नाथी बाई पुत्री स्वर्गीय देवाजी गाडरी, निवासी 54–बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भंवरी बाई पुत्री स्वर्गीय देवाजी गाडरी पत्नी स्वर्गीय गंगाराम गाडरी, निवासी 33–डी, वर्धमान नगर, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नारायणलाल पिता स्वर्गीय देवाजी गाडरी, निवासी 54–बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय :–

1 / 1. श्रीमती सवा बाई पत्नी स्वर्गीय नारायण गाडरी, निवासी 54–बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

1 / 2. श्रीमती लाली बाई पुत्री स्वर्गीय नारायण गाडरी पत्नी तुलसीराम गाडरी, निवासी 54–बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

1 / 3. संजय पिता स्वर्गीय नारायण गाडरी, निवासी 54–बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय :–

1/3/1. श्रीमती ज्योति पत्नी स्वर्गीय संजय गाडरी, निवासी 54–बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

1/3/2. रोशन पिता स्वर्गीय संजय गाडरी, निवासी 54–बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

1/3/3. श्रीमती सोनल कुमारी पुत्री स्वर्गीय संजय गाडरी, निवासी 54–बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

1/3/4. श्रीमती कंचन पुत्री स्वर्गीय संजय गाडरी, निवासी 54–बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

2. मूलचन्द पिता हगामीलाल जैन, निवासी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय :–

2 / 1. कुलदीप पिता स्वर्गीय मूलचन्द जैन, निवासी अरविन्द नगर, सुन्दरवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3. फतहलाल पिता अमरचन्द जैन, निवासी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)
4. भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक) गिर्वा दि. 16.08.2022 प्र.सं. 88 / 2019

उपस्थित :– 1– श्री नरेश जणवा अभि[illegible] अपीलान्टगण
2– श्री [illegible] रेस्पो.सं. 3
3– श्री कमलेश चौहान [illegible] अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

———::———

<u>निर्णय</u>   <u>दिनांक 04—07—2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुन्दरवास में आराजी नंबर 146, 147, 148, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 205, 206 कुल किता 14 रकबा 0.9650 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 2/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 4/9 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है एवं प्रतिवादीगण विभाजन से इंकार करते हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान में मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 16—08—2022 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12—01—2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। दौराने अपील कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की जाकर अपील का निस्तारण विधिक बिन्दु के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने प्रारम्भिक आपत्ति में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण न तो अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार हैं, न ही वादग्रस्त आराजियात की रेकार्डेड खातेदार हैं, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] मात्र विभाजन का है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री [illegible] सहमति के आधार पर जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

हुई है, उसमें अपीलान्टगण को इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रकरण में कोई भी अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व इस विधिक विधिक बिन्दु के आधार पर अपील का निस्तारण किया जावे।

उक्त प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब देते हुए अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा पक्षकार बनने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो विचाराधीन है। विधि अनुसार अपीलान्टगण अपने हक हिस्से तक घोषणा कराने की अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की बहने होने के आधार पर अपना विवादित आराजियात में 1/9, 1/9 हिस्सा बताया है। यह सही है कि अपीलान्टगण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नारायणलाल की बहनें होकर स्वर्गीय देवा जी की पुत्रियां हैं, किन्तु अपीलान्टगण विवादित आराजियात की रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं एवं वाद मात्र विभाजन का है। इसलिए अपीलान्टगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं होने से हम उन्हें विभाजन के इस वाद में हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपीलान्टगण की अपील मात्र इसी कानूनी बिन्दु के आधार पर खारिज योग्य है।

अतः रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 16–08–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

श्रीमती नाथीबाई पुत्री स्व. देवाजी गाडरी, निवासी 54—बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर व अन्य <u>बनाम</u> नारायणलाल मृतक के बजाय श्रीमती सवाबाई पत्नी स्व. नारायण जी गाडरी, नि0 54—बी, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर व अन्य

अपील नं॰......05 / 2023...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....(फास्ट ट्रेक) गिर्वा........ मुकाम.............मुवर्खे.........16...........माह..........08...........2022

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........04....माह........07....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री नरेश जणवा.....मिनजानिब अपीलान्ट व.........श्री पन्नालाल मारू ....

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 16—08—2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......04.......माह.......07..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कु[illegible]पील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested